22

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 846–दो/14 विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 709/अपील/2011–12

.....

पुजारी मुरली मनोहर मंदिर
शुलभ कुमार पुत्र श्र. खच्चूलाल शर्मा
निवासी नईसराय तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1– श्यामबाबू पुत्र कल्याणप्रसाद श्रीवास्तव
2– ओम प्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव
3– राजजेश पुत्र कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव
4– विमलादेवी वेवा रमेश कुमार श्रीवास्तव
5– रूपेन्द्र पुत्र रमेश कुमार श्रीवास्तव
6– रीतेश पुत्र रमेश कुमार श्रीवास्तव
7– दीपेश पुत्र रमेश श्रीवास्तव
8– ज्योति पुत्री रमेश श्रीवास्तव
9– सुशीला बेवा नन्नूलाल श्रीवास्तव फौत वारिसानः–
अ– शंभू ब– श्याम स– ओमप्रकाश
द– राजेश पुत्रगण नन्नूलाल श्रीवास्तव
10–शंभू पुत्र कल्याण श्रीवास्तव
11– नर्वदी पुत्री नन्नू श्रीवास्तव पत्नी केशव नारायण श्रीवास्तव
हाल निवासी हनुमानगंज नई बस्ती हीरफाटक –1 गली
ग्राम कुरबाई तहसील कुरवाई जिला विदशा म0प्र0
समस्त निवासी नईसराय हाल निवासी बामहरे कालोनी
विदिशा रोड अशोकनगर म0प्र0
12– श्रीमती रचना पत्नि शिशुपालसिंह रघु.
निवासी कडेसरा तह0 नईसराय जिला अशोकनगर
13– श्रीमती रजनी पत्नि रीवन्द्रसिंह रघुवंशी
निवासी नई सराय तह0 नईसराय जिला अशोकनगर
म0प्र0 ——— अनावेदकगण

4–श्रीमती भुरियाबाई पत्नि रमेशसिहं रघु
नि0 डुंगासरा तह नईसरांय जिला अशोकनगर म. प्र.
15– संतोषसिहं पुत्र बाबूसिहं रघुवंशी
नि0 ग्राम अजलेश्वर हाल नि. वार्ड़ क्रं .22
गुना रोड़ अशोकनगर

.....अनावेदकगण

.....

श्री महेन्द्र सिंह चौहान एवं श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण,

.....

आदेश

(आज दिनांक 5–9–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, गवालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 709 / अपील / 2011–12 माल में पारित आदेश दिनांक 31–01–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र0 629 रकबा 0.031, सर्वे क्र0 630 रकबा 0.010, सर्वे क्र0 631 रकबा 0.021, सर्वे क्र0 633 रकबा 0.167 हैक्टर की नोइयत परिवर्तन कर मन्दिर के नाम करने हेतु तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । न्यायालय तहसीलदार ईसागढ़ ने सर्वे क्रमांक क्र0 629 रकबा 0.031 को शासकीय भूमि मानते हुये, प्रकरण क्रमांक 275 / बी–121 / 08–09 दर्ज कर दिनांक 16.12.2009 को प्रतिवेदन तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया और तहसीलदार के मत से सहमत होते हुये दिनांक 03.05.2008 को आदेश पारित करते हुये आदेश की प्रति तहसीलदार ईसागढ़ को अभिलेख रिकॉर्ड में रखने हेतु भेजा गया तथा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुये कलेक्टर अशोकनगर को प्रेषित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 07–बी–121 / 10–11 में आदेश पारित दिनांक 28.06.12 को तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये विवादित भूमि नई सराय के सर्वे क्र0 629 रकबा 0.031 को शासकीय भूमि माना है। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील

,श की गई। प्रकरण क्रमांक 709/अपील/2011–12 माल पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 31.01.2014 को आदेश पारित कर न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश से प्ररिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन–पत्र भूमि शासकीय राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतुं प्रस्तुत किया गया था । नायब तहसीलदार नईसराय के द्वारा एस.एल.आर. एवं पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया जाकर अपना जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर अशोकनगर को भेजा । कलेक्टर अशोकनगर ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधि संगत आदेश पारित किया की भूमि राजस्व रिकार्ड में शासकीय दर्ज की जावे । इसके उपरांत ही आवेदकगण द्वारा क्रेता का सहयोग लेने हेतु पक्षकार बनने का आवेदन पेश किया साथ में म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 52 के तहत स्थंगन की मांग की गई । लेकिन धारा 52 का आवेदन निरस्त कर दिया गया और केवल पक्षकार बनने का आवेदन स्वीकार किया गया । लेकिन पक्षकार बनकर क्रेता द्वारा उपरोक्त अपील में किसी किस्म की सहायता मांगने का संसोधन आवेदन–पत्र पेश नहीं किया । तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण ने क्रेता द्वारा विक्रय पत्रों को नामांतरण कराने हेतु नायब तहसीलदार ईसागढ़ के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जो नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आवेदन–पत्र निरस्त किया और नामांतरण निरस्त करने की किसी भी न्यायालय अपील आदि नहीं की और न ही अपर आयुक्त के न्यायालय में नामांतरण की मांग की, जबकि नामांतरण निरस्त की अपील क्रेता को करनी चाहिये थी । क्रेता को उपरोक्त प्रकरण चलने की जानकारी थी फिर भी वह न तो नायब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुये और न ही अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुये एवं न ही कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में उपस्थित हुये। सीधे अपर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित हुये और यह भी अपने आवेदन–पत्र में कभी उल्लेख नहीं किया कि पक्षकार बनाकर हमें किस किस्म की सहायता चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना की कि शासकीय होना प्रतीत होता है । इस पर निष्कर्ष निकाला जो गलत है । जबकि आवेदक द्वारा खसरा

वत् 1975 एवं 1950 से 1951 एवं संवत् 2044 से 2048 के खसरे अक्ष रिकार्ड के प्रस्तुत किये है । जिनमें कुआं, बगिया एवं मंदिर दर्ज है । जिसमें अनावेदक नन्नूलाल ग्राम पटवारी थे और उन्होंने अपने राजस्व रिकार्ड में 1975 में गंगा बगैरा की फर्जी प्रविष्टी थी, जबकि गंगा ग्राम का कृषक ही नहीं था और न ही निवासी । इसके पश्चात संवत् 2004 में गंगा को हटाकर जगन्नाथ पुत्र गंगा एवं संवत् 2004 में ही जवाहर पुत्र प्यारेलाल की प्रविष्टी बगैर किसी सक्षम अधिकारी के दर्ज कर दी । उस समय ग्राम के पटवारी नन्नूलाल थे, जो रमेश अनावेदक के पिता थे। रमेश अनावेदक भी ग्राम पटवारी थे । इसके पश्चात् रमेश ग्राम पटवारी ने संवत् 2044 से 2048 के खसरे में पक्का कुआं, पक्का मंदिर और पक्का बगीचा खसरे में दर्ज जो अवैध प्रविष्टी होने से कभी चुनौती करने योग्य है । कोई समय सीमा नहीं है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारि किया गया है जो निरस्त योग्य है । संवत् 1950 से 1959 खसरा साथ में संवत 1975 खसरा संवत 2004 का खसरा और संवत 2044 से 2048 तक और वर्तमान खसरा नकल एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपर आयुक्त के आदेश की नकल एवं कलेक्टर के आदेश की नकल एवं तहसीलदार के आदेश की नकल एवं पटवारी ग्राम रिपोर्ट एवं नामांतरण नायब तहसीलदार न्यायालय से निरस्त किये उनकी नकल एवं हाल साबिक सूची 2004 की नकल श्री कलेक्टर भोंडवे के आदेश की नकल प्रस्तुतरत है। अतः अपर आयुक्त के प्र0क्र0 709/अपील/2011–12 एवं आदेश दिनांक 31.01.2014 को निरस्त कर कलेक्टर के आदेश दिकनांक 28.06.2012 को स्थिर रखा जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदक ने तहसील ईसागढ़ में तहसीलदार महोदय के यहॉ एक आवेदन दिया था, जिसमें सर्वे क.629, 630, 631,632 एवं 633 की नोईयत परिवर्तन की जावे, जबकि सर्वे क्र0 629 रकवा 0.031 है, रमेश कुमार आदि के नाम है। सर्वे क्र0 630 रकवा 0.010 है., कुआ है सर्वे क्र0 633 रकवा 0.167 है आबादी है और सर्वे. क्र0 632 रकवा 0.01 है. आम रास्ता दर्ज है। आवेदक ने हम भू–स्वामी अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया और जिनको बयनामा कर दिया, दिनांक 06.07.07 को श्रीमती रजनी, श्रीमती रतना, श्रीमती भुरियाबाई आदि को पक्षकार नहीं बनाया है और तहसीलदार ने रमेश कुमार, जिनका देहांत दिनांक 26.10.08 को हो गया, उनको भी कोई सूचना नहीं दी। इस प्रकार दिनांक 16.12.09 को तहसीलदार ने दिनांक 06.07.07 को विकय

क्र वाले को नहीं बुलाया, जबकि 2008 में केतागण श्रीमती रजनी, श्रीमती रतना, श्रीमती भुरियाबाई ने मकान बना लिया है और सर्वे क.629 रकवा 0.031 है. में निवास कर रहे है तहसीलदार ने भूल की है और एस.डी.एम. ने भी हितबद्ध पक्षकार को नहीं बुलाया है। तहसीलदार ने मृत व्यक्ति रमेश कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदन लिखा है, जो मान्य किये योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में तहीलदार ईसागढ़ के प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं है। तर्क में उन्होंने यह भी बताया है कि कलेक्टर ने सर्वे क्र0 629 को शासकीय दर्ज कर लिया है, जो उचित नहीं है। सर्वे क्र0 629 संवत 2004 में हमारे दादा जी जवाहर लाल पुत्र प्यारेलाल के नाम से कृषक के नाम से दर्ज है संवत 2035 से 2042 तक हमारे दादा जी नन्नूलाल के नाम रहीं संवत 2049 से 2052 तक हमारे पिताजी कल्याण प्रसाद तथा रमेश कुमार के नाम रही। दिनांक 31.08.07 में यह भूमि शंभूदयाल, श्याम बाबू, ओमप्रकाश, राजेश, सुशीलाबाई के नाम रही है और उस भूमि को विकय करने का सम्पूर्ण अधिकार है। उक्त भूमि का 36अ12 / 06–07, 22.06.07 को विधिवत वयनामा करके विकय किया है लेकिन तहसीलदार के गलत प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 7बी–121 / 2010–11 आदेशा दिनांक 28.06.2012 को शासकीय कर दिया है। जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वलियर के यहॉ प्रस्तुत की, जिसमें माननीय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 709 / अपील / 11–12, दिनांक 31.01.2014 को कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया है, ऐसी स्थिति में आवेदक की निगरानी चलने योग्य नहीं है । कलेक्टर अशोकनगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्र 4255 / 2007 में पारित आदेश दिनांक 26.10.09 के उपरांत भी आदेश दिनांक 28.06.12 के वादग्रस्त भूमि नईसराय स्थित सर्वे क्र 629 संवत 2014 से निरन्तर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज प्रविष्टि को निरस्त कर शासकीय मान्य किये जाने बावत् आदेश पारित किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्ण दिनांक 16.01.2009 तथा उसके विरूद्ध निरस्त की गई अपील के प्रकाश में प्रथमदृष्टया स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपर आयुक्त ने कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया । हमारे दादा, परदादा ग्राम नईसराय में रहते थे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए मंदिर का निर्माण कराया था एवं कुंआ खुदवाया था, जिसका सभी पानी पीते थे, ऐसी स्थिति में हम मूलतः नईसराय के निवासी है। हमारे देवता का चबूतरा नईसराय में बना हुआ है, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्त्ता की निगरानी निरस्त की

ा करें। सर्वे क.160,161,162,177 कुल रकवा 5.069 हैक्टेयर जिस पर प्रभारी का कब्जा है। आवेदक सुनील कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण कमांक 4252/2007 में तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती गीता मिश्रा ने हाईकोर्ट में जबाव में सर्वे कं 629 को हमारी भूमि मानी गयी थी, जो माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में उक्त याचिका प्रस्तुत कर दी गयी है जो हितबद्व पक्षकारों को सूचना दिये बिना तहसीलदार ईसागढ प्रतिवेदन कोई मायने नहीं रखता और सर्वे क.629में सन 2008 से मकान बना हुआ है और रंजनीबाई आदि उसमें निवास कर रही है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थित रखे जाने योग्य है। आवेदक का यह कहना है कि रमेश कुमार ने शासकीय रिकार्ड में हेराफेरी की है, सम्बत 204 में रमेश कुमार की आयु 3 वर्ष की आवेदक पटवारी तहसीलदार एस.डी.एम ने कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं किया, जिसमें यह सिद्व नहीं जो 629 शासकीय या औकाफ विभाग की रही है। कलेक्टर को वयनामा व 2004 की निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि निगरानीकर्त्ता की निगरानी अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कंमाक 709/अपील 2011–12 आदेश दिनांक 31.01.14 स्थिर रखे जाने की कृपा करें।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा दिये आवेदन पर से तहसीलदार ईसागढ़ ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर अशोकनगर की ओर प्रेषित किया गया । तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा सहायक अधीक्षक को प्रश्नाधीन भूमि से सम्बन्धित जांच प्रतिवेदन/स्थल निरीक्षण हेतु निर्देशित नहीं किया गया । सहायक अधीक्षक की स्थल रिर्पोट शुलभ कुमार द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को आवेदक के द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट को आधार नहीं बनाना चाहिये था । अनुविभागीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर विचार न करते हुये तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये कलेक्टर की अशोकनगर की ओर अग्रेषित किया गया एवं एक अन्य प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2012 नायब तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । जबकि नायब तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि से सम्बधित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्देश कलेक्टर द्वारा नहीं दिये गये थे । कलेक्टर द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों

ने आधार मानकर वादग्रस्त भूमि नई सराय स्थित सर्वे क्रमांक 629 खसरा सम्वत 2004 निरंतर दर्ज प्रविष्टि को शासकीय मान्य किये जाये बावत् आदेश पारित किया गया है । प्रकरण में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है, जिसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण 4252/2007 शुलभ कुमार शर्मा विरूद्ध स्टेट ऑफ म0प्र0 एवं अन्य में दिनांक 16.01.2009 को आदेश पारित किया गया है । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया है । माननीय उच्च न्यायाल खण्डपीठ ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4252/07 शुलभ कुमार शर्मा विरूद्ध 1–स्टेट ऑफ म0प्र0, 2–कलेक्टर अशोकनगर, 3– सबडिवीजन ऑफीसर रेवेन्यु अशोकनगर, 4–सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस अशोकनगर, 5–पुलिस स्टेशन नईसराय ईसागढ़, 6–रमेश कुमार श्रीवास्तव ने क्रमशः अनावेदक 1 लगायत 5 के जवाब के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2009 में भूमि सर्वे न0 629 व अन्य पर अतिक्रमण न पाते हुये आवेदक शुलभ कुमार शर्मा की याचिका मेरिट न पाते हुये खारिज की गई तथा व्यवहार न्यायालय से सहायता प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध शुलभ कुमार शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.ए. 139/2009 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2010 को आवेदक द्वारा वापिस लिये जाने के कारण निरस्त की गई । ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनांक 16.01.2009 एवं दिनांक 20.05.2010 अंतिम है, क्योंकि इन आदेशों से भिन्न कोई आदेश प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार ईसागढ़, अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर एवं कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुये निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर